



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रथम अपील संख्या 168/2026

श्रीमती उषा

...अपीलकर्ता

बनाम

श्री कलुआ राम व 12 अन्य

...प्रतिवादी

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन

सिविल विविध प्रतिस्थापन आवेदन संख्या 4/2026 पर आदेश:-

1. अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 1 और 7 के विद्वान् अधिवक्ताओं की बात सुनी गई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 कलुआ राम की 06.01.2026 को मृत्यु हो गई है और उनके उत्तराधिकारी पहले से ही मुकदमे में पक्षकार के तौर पर शामिल हैं, इस तथ्य को दर्ज करने के लिए समय पर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है।
3. प्रतिवादियों के अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें उक्त प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. प्रतिस्थापन आवेदन के समर्थन में एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर कोई विवाद नहीं है।
5. प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. तदनुसार, अपील के मेमो में प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के बाद यह दर्ज किया जाए कि अपील लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।

अपील पर आदेश:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राम, वादी और प्रतिवादियों की ओर से इकट्ठा करते और अपने पास रखते थे। यह भी कहा गया कि जब वादी ने संपत्ति में अपना 1/8 हिस्सा और संपत्ति से होने वाली किराये की आय में से 1 लाख रुपये प्रति माह की मांग की, तो प्रतिवादियों ने इससे इनकार कर दिया।

4. ऊपर बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए, वादी ने निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया:-

(i) वादी का 1/8 हिस्सा है और न्यायालय अमीन द्वारा तय की गई सीमाओं और माप के अनुसार तैयार किए गए उसके हिस्से का कब्ज़ा उसे सौंपा जाए।

(ii) प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए, जिसके तहत प्रतिवादियों और उनके एजेंटों, सहयोगियों, कर्मचारियों आदि को वादी की 1/8 हिस्सेदारी वाली विवादित संपत्ति के मालिकाना हक और शांतिपूर्ण संयुक्त कब्ज़े में किसी भी तरह से दखल देने से रोका जाए; साथ ही, प्रतिवादियों को वसीयत या किसी अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए विवादित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने या बेचने से भी रोका जाए।

(iii) वादी के पक्ष में प्रतिवादियों के खिलाफ 2.5 लाख रुपये प्रति माह के मध्यवर्ती लाभ - संपत्ति के अनधिकृत कब्ज़े के दौरान उससे होने वाली आय) का आदेश पारित किया जाए।

(iv) कि कानूनी नोटिस का ₹11,000/- का खर्च और मुकदमे का खर्च भी वादी को प्रतिवादियों से दिलाया जाए।

प्रतिवादियों का लिखित बयान

5. प्रतिवादी संख्या 1 कलुआ राम ने विचारण न्यायालय में अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें उसने वादी के दावों को नकार दिया। यह कहा गया कि विवादित संपत्ति पूरी तरह से प्रतिवादी की भूमिधारी ज़मीन थी, जिसमें वादी और अन्य प्रतिवादियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं था। यह भी कहा गया कि निनुआ राम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 विवादित

संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी विवादित संपत्ति पर सब्जी मंडी चला रहा था जो पूरी तरह से उसकी अपनी थी; इसलिए, उस व्यवसाय से होने वाली आय पर वादी या अन्य प्रतिवादियों का कोई अधिकार नहीं था। विशेष रूप से यह कहा गया कि वादी को मुकदमे की संपत्ति के बंटवारे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।

6. यह भी कहा गया कि जब यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. एकट लागू हुआ था, तब वादी का अस्तित्व ही नहीं था; इसलिए, उसे विवादित संपत्ति का सह-मालिक नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा गया कि यह वादी की पैतृक संपत्ति नहीं थी। वादी का मुकदमा स्पेसिफिक रिलीफ एकट की धारा 34, 38 और 41 के तहत वर्जित था और सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 (डी) के तहत मुकदमे की अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए था।

7. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 और 6 से 13 ने भी विचारण न्यायालय के सामने अपना लिखित बयान जमा किया, जिसमें उन्होंने वादी के दावों को नकार दिया और कहा कि वादी मुकदमे वाली संपत्ति हड़पना चाहता है, जबकि उसका उस पर कोई अधिकार, हक, हित या कब्जा नहीं था। यह भी कहा गया कि विवादित संपत्ति पूरी तरह से प्रतिवादी संख्या 1 की भूमिधरी ज़मीन थी, जिस पर वादी और अन्य प्रतिवादियों का किसी भी तरह का कोई अधिकार, हक, हित या कब्जा नहीं था। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ही विवादित संपत्ति का एकमात्र मालिक था, जो उस ज़मीन पर अपनी निजी सब्जी मंडी चला रहा था और उस संपत्ति से होने वाली आय का एकमात्र मालिक भी वही था। खास तौर पर यह कहा गया कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 से 13 का मुकदमे वाली संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार, हक या कब्जा नहीं था, क्योंकि विवादित संपत्ति पूरी तरह से प्रतिवादी संख्या 1 की थी और उसी का उस पर कब्जा था; यह वादी की पैतृक संपत्ति नहीं थी।

8. प्रतिवादी संख्या 5 ने भी अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें उन्होंने विचारण न्यायालय के सामने अन्य प्रतिवादियों द्वारा पहले कही गई बातों को ही दोहराया।

मुद्दे तय किए गए और सबूत पेश किए गए

9. पक्षों के बयानों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए:-



(i) क्या वादी विवादित संपत्ति का 1/8 हिस्सा पाने का हकदार है?

(ii) क्या वादी प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है, जिसके तहत प्रतिवादियों और उनके कर्मचारियों को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल देने और विवादित संपत्ति को सेल डीड, वसीयत या किसी अन्य समझौते के ज़रिए हस्तांतरित करने से रोका जा सके?

(iii) क्या वादी बीच की अवधि के दौरान प्रति माह ₹2,50,000/- पाने का हकदार है?

(iv) क्या मुकदमे का मूल्यांकन कम किया गया है?

(v) क्या वादी द्वारा चुकाई गई न्यायालय फीस अपर्याप्त है?

(vi) क्या न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है?

(vii) क्या वादी अन्य राहतें पाने का हकदार है?

10. वादी श्रीमती उषा ने खुद को पीडब्लू-1 के तौर पर, अपने पति भीम सिंह को पीडब्लू-2 के तौर पर और न्यायालय अमीन हेमंत कुमार को पीडब्लू-3 के तौर पर पेश किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कलुआ राम ने खुद को डीडब्ल्यू-1 के तौर पर पेश किया।

11. दस्तावेज़ी सबूतों में, विवादित ज़मीन का खसरा, खतौनी, यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. एक्ट की धारा 143 के तहत घोषणा, कानूनी नोटिस आदि पक्षों द्वारा दाखिल किए गए।

विचारण न्यायालय का तर्क

12. विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वादी के दादा निनुआ राम खसरा संख्या 2006 (एम) (क्षेत्रफल 0.2420 हेक्टेयर)



और खसरा संख्या 2007 (एम) (क्षेत्रफल 0.2820 हेक्टेयर) के मालिक थे। उनका निधन 1998 में हुआ था और चूंकि यह संपत्ति कृषि योग्य थी और यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.एक्ट 1950 के प्रावधानों के तहत आती थी, इसलिए उनके बेटे कलुआ राम एक्ट 1950 की धारा 171 के अनुसार विवादित ज़मीन के भूमिधर बन गए। आगे यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते थे और उस अधिनियम की धारा 6 केवल 09.09.2005 से लागू हुई थी, और उससे पहले वादी विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार लागू नहीं कर सकती थी। इसके अलावा यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि विवादित संपत्ति को 'आबादी' घोषित किया गया था और 2007 में यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. एक्ट की धारा 143 के तहत घोषणा की गई थी, इसलिए उसके बाद विवादित संपत्ति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए।

13. इसे देखते हुए, विचारण न्यायालय ने माना कि चूंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान 09.09.2005 से पहले लागू नहीं थे, इसलिए वादी का विवादित संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। विचारण न्यायालय ने खास तौर पर यह दर्ज किया कि कलुआ राम विवादित संपत्ति के पूर्ण मालिक थे, जिसमें वादी का उनके जीवनकाल में कोई अधिकार नहीं था; और इसे देखते हुए, यह माना गया कि वादी को विवादित संपत्ति के बंटवारे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर वादी ने यह अपील दायर की है।

विद्वान अधिवक्ता की दलीलें

14. वादी-अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विवादित संपत्ति एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) की संपत्ति थी और सह-उत्तराधिकारी होने के नाते, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, वादी 09.09.2005 से सह-उत्तराधिकारी के रूप में अपना अधिकार जताने की हकदार थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला दिया। आगे यह भी कहा गया कि चूंकि वादी विवादित संपत्ति में कलुआ राम के साथ सह-उत्तराधिकारी थी, इसलिए वह अपना हिस्सा घोषित कराने और उसे सीमांकन के साथ विभाजित करने के लिए बंटवारे का मुकदमा दायर कर सकती थी। साथ ही, वादी ने प्रतिवादियों को विवादित संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत भी मांगी थी, जिसे विचारण न्यायालय ने गलत



तरीके से खारिज कर दिया। इन दलीलों के साथ, अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

15. इसके विपरीत, प्रतिवादी-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कहा कि वादी के दादा निनुआ राम विवादित संपत्ति के पूर्ण मालिक थे, जिनका नाम यू.पी.जेड.ए.ए.&एल.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खतौनी में भूमिधर के रूप में दर्ज था और 1998 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे कलुआ राम का नाम अधिनियम की धारा 171 के अनुसार भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि विवादित संपत्ति कभी भी सह-उत्तराधिकार वाली संपत्ति नहीं थी, जिसमें वादी का कोई अधिकार हो, और इसलिए वादी का मुकदमा सही ढंग से खारिज किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि चूंकि अपील लंबित रहने के दौरान 06.01.2026 को कलुआ राम की मृत्यु हो गई और वादी, कलुआ राम की कानूनी उत्तराधिकारी है, और विशेष रूप से चूंकि यू.पी. जेडए और एल.आर. अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत विवादित संपत्ति को 'आबादी' (आवासीय क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है, इसलिए वादी विवादित संपत्ति के 1/7वें हिस्से की मालिक बन गई है, जिसके लिए वह कानून के अनुसार बंटवारे का दावा करने की हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने वादी का मुकदमा खारिज करने में कोई गलती नहीं की है। इन दलीलों के साथ यह अनुरोध किया गया कि अपील में कोई दम नहीं है और इसे शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

16. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, विवादित फैसले और अपील के साथ जमा किए गए दस्तावेजों को देखा।

17. इस न्यायालय की एक डिवीज़न बेंच ने **श्रीमती अंजलि कौल और अन्य बनाम नरेंद्र कृष्ण जुत्शी और अन्य 2013 एस सी सी ऑनलाइन सभी 13843** के मामले में यह कहा:-

"19. रामजी दीक्षित बनाम भिरुगनाथ, एआईआर 1965 सभी 1 के मामले में इस न्यायालय की फुल बेंच का फैसला उद्धृत करने लायक है:"

"खेती करने वाले किराएदार का कोई धर्म या पर्सनल लॉ नहीं होता, सिवाय उन मामलों के जिनके बारे में 'जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम' में साफ तौर पर बताया गया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो। यह अधिनियम हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या पर्सनल लॉ कुछ भी हो (सिवाय कुछ खास मामलों में उत्तराधिकार के)। इसमें विरासत और ट्रांसफर से जुड़े अपने नियम हैं; और जब इसने कुछ मामलों को पर्सनल लॉ के तहत छोड़ने का फैसला किया है, तो ऐसा साफ़ तौर पर नियम बनाकर किया है। विरासत और किराएदारी के अधिकारों के ट्रांसफर के मामलों में पर्सनल लॉ कभी भी अपने-आप लागू नहीं हुआ है, जैसा कि मालिकाना हक़ की विरासत और ट्रांसफर के मामलों में होता रहा है।"

20. इस नज़रिए को इस न्यायालय ने 'राम अवलंब बनाम जटा शंकर' (एआईआर 1969 सभी 526) के एक और फुल बेंच फैसले में भी अपनाया था।

21. माधुरी देवी बनाम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश. लखनऊ, 2011 (29) एलसीडी 2655 : (2012 (1) एलजे 94) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि "इस राज्य में किरायेदारी यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.एक्ट के प्रावधानों से नियंत्रित होती है और उत्तराधिकार भी इसी एक्ट के प्रावधानों से नियंत्रित होता है, न कि हिंदू कानून या किसी पर्सनल लॉ के सिद्धांतों से।"

29. अमर सिंह बनाम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ़ कंसोलिडेशन, (1988) 4 एस सी सी 143 (एआईआर-1988 एससी 2020), विजय पाल सिंह बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ कंसोलिडेशन, (1995) 5 एस सी सी 212 : (एआईआर 1996 एससी 146) और औधर बनाम चंद्रपति, (2003) 11 एस सी सी 458 : (एआईआर 2003 एससी 4389) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किरायेदारी कानून के तहत आने वाली ज़मीन पर पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा।

30. हम इस राय से और "श्रीमती प्रेमा देवी बनाम जॉइंट डायरेक्टर ऑफ़ कंसोलिडेशन (एआईआर 1970 ऑल 238)" में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय से पूरी तरह सहमत हैं और मानते हैं कि "बिना वसीयत मरे व्यक्ति की किसी अचल संपत्ति में हित" शब्दों में बिना वसीयत मरे व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि शामिल नहीं है।

31. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. एक्ट एक विशेष एक्ट है जहाँ हिंदू उत्तराधिकार एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि पक्षों के अधिकार यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.एक्ट से नियंत्रित होते हैं। यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. एक्ट अपने आप में एक पूर्ण कानून है।"

18. अपील के साथ जमा किए गए दस्तावेजों से यह बात साफ़ है कि निनुआ राम, ज़मीन के एकीकरण की कार्यवाही से पहले खसरा संख्या 206 और 207 वाली विवादित संपत्ति के पूर्ण मालिक थे। एकीकरण की कार्यवाही के बाद ये खसरा संख्या 2006 (एम) (क्षेत्रफल 0.2420 हेक्टेयर) और खसरा संख्या 2007 (एम) (क्षेत्रफल 0.2820 हेक्टेयर) बन गए। 1998 में उनकी मृत्यु के बाद, यू.पी. ज़ेड.ए. एंड एल.आर. एक्ट, 1950 की धारा 171 के अनुसार, उनके बेटे/प्रतिवादी संख्या 1 कलुआ राम इस विवादित संपत्ति के भूमिधर/रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर (ज़मीन के अधिकार वाले व्यक्ति) बन गए। यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान यू.पी. ज़ेड.ए. एंड एल.आर. एक्ट और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 पर लागू नहीं होते हैं; इसलिए, जब तक राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति कृषि भूमि के तौर पर दर्ज है, तब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं जताया जा सकता।

19. इस मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित संपत्ति का दर्जा कृषि भूमि से बदलकर आबादी (रिहायशी इलाका) कर दिया गया था और सक्षम अधिकारी द्वारा 30.05.2007 को धारा 143 के तहत घोषणा की गई थी। इसलिए, उस तारीख के बाद संपत्ति ने कृषि भूमि का स्वरूप खो दिया और आबादी वाली ज़मीन बन गई, जिस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (जिसे 2005 के एक्ट 39 द्वारा संशोधित किया गया और जो 09.09.2005 से लागू हुआ) इस प्रकार है:-

6. सहदायिक संपत्ति में हित का हस्तांतरण।-(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने की तिथि से, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सहदायिक की पुत्री,-

(a) जन्म से ही बेटे की तरह अपने अधिकार से सह-दायाद बन जाएगी;

(b) सह-दायादी संपत्ति में उसे वही अधिकार मिलेंगे जो उसे तब मिलते अगर वह बेटा होती;

(c) उस सह-दायादी संपत्ति के संबंध में उस पर वही देनदारियां होंगी जो एक बेटे पर होती हैं,

और हिंदू मिताक्षरा सह-दायभागी के किसी भी उल्लेख में सह-दायभागी की बेटा का उल्लेख भी शामिल माना जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में दी गई कोई भी बात 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुई संपत्ति के किसी भी बंटवारे या वसीयत सहित संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या निस्तारण को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी हिंदू महिला को मिलने वाली संपत्ति पर उसका सह-स्वामित्व का अधिकार होगा। इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, ऐसी संपत्ति को वह वसीयत के ज़रिए किसी को भी दे सकती है।

(3) यदि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, तो मिताक्षरा कानून के तहत आने वाले संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा इस अधिनियम के तहत वसीयत या बिना वसीयत के उत्तराधिकार (जैसा भी मामला हो) के ज़रिए हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता के नियम से। ऐसी सह-संपत्ति को ऐसे विभाजित माना जाएगा जैसे कि बंटवारा हो गया हो, और-

(क) बेटा को उतना ही हिस्सा दिया जाएगा जितना बेटे को दिया जाता है;



(ख) जो हिस्सा पहले मर चुके बेटे या पहले मर चुकी बेटी को बंटवारे के समय जीवित रहने पर मिलता, वही हिस्सा उस पहले मर चुके बेटे या पहले मर चुकी बेटी की जीवित संतान को दिया जाएगा; और

(ग) किसी पहले गुजर चुके बेटे या पहले गुजर चुकी बेटी के, पहले ही गुजर चुके बच्चे का हिस्सा—यानी वह हिस्सा जो उस बच्चे को बंटवारे के समय ज़िंदा रहने पर मिलता—उस पहले गुजर चुके बेटे या बेटी के उसी पहले गुजर चुके बच्चे की संतान को दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के मकसद के लिए, हिंदू मिताक्षरा सह-दायभागी का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे उसकी मौत से ठीक पहले संपत्ति का बंटवारा होने पर मिलता, चाहे वह बंटवारे का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, कोई भी न्यायालय किसी बेटे, पोते या परपोते के खिलाफ उसके पिता, दादा या परदादा के किसी बकाया कर्ज की वसूली के लिए कार्रवाई करने के अधिकार को मान्यता नहीं देगी, जो केवल हिंदू कानून के तहत ऐसे बेटे, पोते या परपोते के उस कर्ज को चुकाने के 'धार्मिक दायित्व' के आधार पर हो:

बशर्ते कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले लिए गए किसी कर्ज के मामले में, इस उप-धारा में दी गई कोई भी बात इन पर असर नहीं डालेगी:

(क) किसी लेनदार का बेटे, पोते या परपोते के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो; या

(ख) ऐसे किसी कर्ज के संबंध में या उसे चुकाने के लिए किया गया कोई हस्तांतरण, और ऐसा कोई भी अधिकार या हस्तांतरण 'पवित्र दायित्व' के नियम के तहत उसी तरह और उसी हद तक लागू किया जा सकेगा, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू ही नहीं हुआ होता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण.- खंड (ए) के उद्देश्यों के लिए, 'बेटे', 'पोते' या 'परपोते' शब्द का अर्थ उस बेटे, पोते या परपोते से होगा, जैसा भी मामला हो, जो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले पैदा हुआ हो या गोद लिया गया हो।

(5) इस धारा में दी गई कोई भी बात ऐसे बंटवारे पर लागू नहीं होगी, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस धारा के मकसद से "बंटवारे" का मतलब है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (1908 का 16) के तहत ठीक से रजिस्टर्ड बंटवारे के डीड को लागू करके किया गया कोई भी बंटवारा, या न्यायालय के आदेश (डिक्री) से किया गया बंटवारा।

21. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य (2020) 9 एस सी सी 1 (3 जजों की बेंच) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया:-

137.1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की बदली हुई धारा 6 के तहत, संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटों को बेटे की तरह ही 'कोपार्सनर' (सह-उत्तराधिकारी) का दर्जा मिलता है, और उसे बेटे के समान ही अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं।

137.2. पहले पैदा हुई बेटों 9-9-2005 से ये अधिकार मांग सकती हैं, लेकिन इसमें धारा 6(1) के तहत उन मामलों में छूट दी गई है जिनमें 20 दिसंबर, 2004 से पहले संपत्ति का निस्तारण, हस्तांतरण, बंटवारा या वसीयत के ज़रिए निस्तारण हो चुका था।

137.3. चूंकि कोपार्सनरी (सह-उत्तराधिकार) में अधिकार जन्म से ही मिलता है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि पिता (जो कोपार्सनर है) 9-9-2005 को जीवित हो।

137.4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान द्वारा बनाई गई बंटवारे की कानूनी कल्पना से वास्तव में बंटवारा या सह-दायित्व का विघटन नहीं हुआ। यह कल्पना केवल उस मृत सह-दायादी का हिस्सा तय करने के लिए थी, जिसके पीछे 1956 के अधिनियम की अनुसूची में बताई गई क्लास I की महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला का पुरुष रिश्तेदार जीवित हो। बदली हुई धारा 6 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। भले ही प्रारंभिक डिक्ली पारित हो चुकी हो, अंतिम डिक्ली या अपील की लंबित कार्यवाही में बेटियों को सह-दायित्व में बेटे के बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए।

137.5. 1956 के अधिनियम की धारा 6(5) के स्पष्टीकरण) के कड़े प्रावधानों को देखते हुए, मौखिक बंटवारे के दावे को बंटवारे का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीका नहीं माना जा सकता; बंटवारे का तरीका या तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत बंटवारा विलेख होना चाहिए या न्यायालय की डिक्ली होनी चाहिए। हालाँकि, असाधारण मामलों में जहाँ मौखिक बंटवारे के दावे का समर्थन सार्वजनिक दस्तावेजों से होता है और बंटवारा अंततः उसी तरह साबित होता है जैसे कि यह न्यायालय की डिक्ली द्वारा किया गया हो, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित बंटवारे के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

22. यह साफ़ है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा (ऊपर बताए गए) मामले में की थी, महिला सह-उत्तराधिकारी केवल 09.09.2005 से ही अपना अधिकार जता सकती थी, उससे पहले नहीं। यह भी साफ़ है कि 09.09.2005 को संपत्ति कृषि योग्य ही थी, इसलिए उस तारीख को भी विवादित संपत्ति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते थे; ये प्रावधान तब लागू हुए जब विवादित संपत्ति को 30.05.2007 को 'आबादी' (रिहायशी इलाका) घोषित किया गया।

23. यह भी साफ़ है कि चूँकि कलुआ राम संपत्ति के पूर्ण मालिक थे, इसलिए जब तक संपत्ति कृषि योग्य रही, उत्तराधिकार का मामला यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 171 के अनुसार ही तय होना था।

24. यह साफ़ है कि अपील लंबित रहने के दौरान 06.01.2026 को कलुआ राम की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद, चूँकि संपत्ति गैर-कृषि योग्य हो गई है, इसलिए यदि विवादित



संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत नहीं है, तो उनके सभी उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं। इसे देखते हुए, वादी कलुआ राम की मृत्यु के बाद ही कानून के अनुसार अपना हिस्सा मांग सकती है, उससे पहले नहीं। यह साफ़ है कि जब वादी ने मुकदमा दायर किया था, तब कलुआ राम जीवित थे, इसलिए कलुआ राम के जीवनकाल में वादी किसी भी तरह से विवादित संपत्ति पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती थी।

25. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा वादी का मुकदमा खारिज करने के फैसले में कोई गलती या अनुचित बात नहीं है, और इस न्यायालय को अपनी अपीलिय अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इसमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है।

26. इस अपील में कोई दम नहीं है और इसे शुरुआती चरण में ही खारिज किया जाना चाहिए।

27. इसलिए, इस अपील को शुरुआती चरण में ही खारिज किया जाता है। 07.10.2025 का आक्षेपित फैसला और डिक्री बरकरार रखी जाती है।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)